



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-04042026-271578
CG-GJ-E-04042026-271578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]
No. 237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अधिसूचना

गांधीनगर, 30 मार्च, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2026

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/007.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 28 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1); पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 50क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य

ये विनियम भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पेंशन निधियों के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य लंबी अवधि की सेवानिवृत्ति बचत के लिए सुदृढ़ फ्रेमवर्क स्थापित करना, ग्राहकों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देना, उनके हितों की रक्षा करना और आईएफएससी में पेंशन पारिस्थितिकीतंत्र की अखंडता बनाए रखना है।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनके संबंधित भावों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी, -

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
- (ख) “प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (ग) “बोर्ड” का तात्पर्य किसी पेंशन निधि के निदेशक मंडल से है;
- (घ) “योगदान” का तात्पर्य उस राशि से है जो किसी अभिदाता द्वारा या उसकी ओर से उसके पेंशन खाते में जमा की जाती है;
- (ङ) “साख निर्धारण अभिकरण” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिभूति, वित्तीय उत्पाद, जारीकर्ताओं या सरकारों की रेटिंग के कारोबार में लगा हुआ है, और जिसे भारत या किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में, साख निर्धारण अभिकरण के तौर पर, प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है;
- (च) “संरक्षक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखने की सेवाएँ देने के कारोबार में लगा हुआ है, और जिसे भारत या किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में, संरक्षक के तौर पर, प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है;
- (छ) “मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक” का तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, और ऐसे अन्य अधिकारी से है जिसे पेंशन निधि द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के तौर पर नियुक्त/नामित किया जा सकता है;
- (ज) “निवल मूल्य” का तात्पर्य चुकता शेयर पूंजी और लाभ से बनाए गए सभी रिज़र्व, प्रतिभूति प्रीमियम खाते, और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष के कुल मूल्य से है; इसमें लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, कुल हानि, आस्थगित खर्च, और बट्टे खाते में न डाले गए विविध खर्चों के कुल मूल्य को घटा

दिया जाता है; लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास का प्रत्याहरण, और विलय से बनाए गए रिज़र्व शामिल नहीं होते हैं;

- (झ) “पेंशन खाता” का तात्पर्य किसी अभिदाता द्वारा किसी पेंशन निधि के साथ खोले गए खाते से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिदाता के योगदान, निवेश से प्राप्त हुए लाभ, और निकासी की जानकारी अभिलक्षित होती है;
- (ञ) “पेंशन निधि” का तात्पर्य ऐसी एंटिटी से है जिसे इन विनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के तौर पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है, ताकि वह योगदान प्राप्त कर सके, उन्हें जमा कर सके, और अभिदाता को भुगतान कर सके;
- (ट) “योजना” का तात्पर्य पेंशन निधि की ऐसी योजना से है जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई हो;

स्पष्टीकरण:- योजना स्वैच्छिक प्रकृति की होगी और इसमें पेंशन निधि द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विशिष्ट निवेश विकल्प या उत्पाद शामिल होगा, जिसके निवेश के उद्देश्य, रणनीतियाँ, और जोखिम प्रोफ़ाइल भिन्न होंगे।

- (ठ) “योजना सूचना दस्तावेज़” का तात्पर्य उस दस्तावेज़ से है जिसमें पेंशन निधि द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विशिष्ट योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी, अर्थात् निवेश के उद्देश्य, संपत्ति आवंटन की रणनीति और जोखिम प्रोफ़ाइल शामिल होती है;
- (ड) “एकल खिड़की आईटी प्रणाली (एसडब्ल्यूआईटी)” का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा डिज़ाइन किए गए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ इन विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र पाने के लिए जमा किए गए आवेदनों की प्रक्रिया को आसान बनाना है;
- (ढ) “अभिदाता” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, और जिसने अपनी मंशा से इस योजना में हिस्सा लिया है और वह एक पेंशन खाता धारक है;
- (ण) “सहायक अनुदेश” का वही तात्पर्य होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियम और सहायक निर्देश बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2025 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के अधीन इसे दिया गया है।

- (त) “क्रमबद्ध निकासी योजना” का तात्पर्य ऐसी सुविधा से है जो किसी अभिदाता को पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित अभिदाता द्वारा जमा की गई निधि में से, तय समय पर, पहले से तय की गई राशि निकालने की अनुमति देती है;
- (थ) “ट्रस्टी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पेंशन निधि ने अभिदाताओं के लाभार्थ परिसंपत्तियों की योजना को अपने पास रखने के लिए नियुक्त किया है।
- (द) “यूनिट” का तात्पर्य योजना की ऐसी यूनिट से है जो योजना के कोष में अभिदाता के हिस्से के अनुपात में आंशिक हित का प्रतिनिधित्व करती है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन अधिनियम में या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में, या कंपनी अधिनियम, 2013 में, या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों में, या उनमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

अध्याय II

पेंशन निधि का रजिस्ट्रीकरण और पात्रता

4. रजिस्ट्रीकरण

- (1) कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन पेंशन निधि के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक उसने प्राधिकरण से पेंशन निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो।
- (2) कोई भी एंटीटी जो प्राधिकरण से पेंशन निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इच्छुक है, वह एसडब्ल्यूआईटी के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शुल्क और दस्तावेज तथा रीति से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (3) आवेदक, आवेदन करते समय, अपनी कारपोरेट संरचना, वित्तीय स्थिति (पिछले 3 वर्षों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण), प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, संगठनात्मक ढांचा, प्रमुख कार्मिक, जोखिम प्रबंधन ढांचा, और प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी के संबंध में विस्तृत विवरण प्रदान करेगा।
- (4) अधूरे आवेदन पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता

- (1) आवेदक ऐसी एंटीटी होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कंपनी के रूप में निगमित हो, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बाहर निगमित किसी कंपनी की शाखा हो:

परंतु यह कि शाखा संरचना केवल ऐसी पेंशन निधि के लिए अनुमत है, जो पहले से ही भारत में या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा रजिस्ट्रीकृत या विनियमित है, ताकि वह समान कार्यकलाप संचालित कर सके।

(2) आवेदक के बोर्ड में कम से कम चार निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

(3) आवेदक और उसके प्रवर्तक ऐसे क्षेत्राधिकार से होने चाहिए, जिसे वित्तीय कार्य कृतिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में “उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है” के रूप में चिह्नित न किया गया हो।

(4) आवेदक या उसकी मूल कंपनी या सहयोगी को पेंशन निधि, फुटकर निधि, बीमा व्यवसाय, या कम से कम दस (10) वर्षों की अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंक के प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए।

स्पष्टीकरण.— इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में “सहयोगी” का तात्पर्य एक अन्य व्यक्ति से होगा, जो पहले व्यक्ति की कुल मतदान शक्ति के कम से कम पचास प्रतिशत पर नियंत्रण रखता हो।

(5) आवेदक को हर समय कम से कम 1 मिलियन यूएसडी का निवल मूल्य (नेट वर्थ) बनाए बनाए रखना होगा:

वर्शों कि जहाँ आवेदक मूल एंटीटी (पैरेंट एंटीटी) है, वहाँ न्यूनतम निवल मूल्य मूल स्तर पर बनाए रखना होगा।

6. मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति

(1) आवेदक कम से कम दो मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति करेगा, जो पेंशन निधि की कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होंगे; इन कार्यकलापों में निधि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(2) इसके अतिरिक्त पेंशन निधि अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो इन विनियमों और अन्य लागू विधानों के समग्र अनुपालन के लिए मुख्य प्रबंधकीय कर्मी होगा और वह सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:

(क) वित्त, विधि, लेखांकन, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कम से कम एक

वर्ष की अवधि का), जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय, संस्थान या संघ से प्राप्त हो; या कोई व्यावसायिक योग्यता, जैसे चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) या ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स से वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) या इसके समकक्ष कोई योग्यता; और

(ख) पेंशन क्षेत्र, निधि प्रबंधन, निधि संचालन, निवेश बैंकिंग, या परिसंपत्ति प्रबंधन में कम से कम तीन (3) वर्षों का कार्य अनुभव; जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन या महत्वपूर्ण निधि संचालन की देखरेख करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी शामिल हो।

बशर्ते कि पेंशन क्षेत्र, निधि प्रबंधन, निधि संचालन, निवेश बैंकिंग या संपत्ति प्रबंधन में दस (10) वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति के लिए वित्त, विधि, लेखांकन, व्यापार प्रबंधन, वाणिज्य या अर्थशास्त्र में बैचलर डिग्री भी काफी होगी।

7. 'उपयुक्त और समुचित' होने की अपेक्षाएं

(1) पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी और नियंत्रक शेयरधारक, पहली अनुसूची में बताए गए मानदंडों के अनुसार, हर समय 'उपयुक्त और समुचित' व्यक्ति हों।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी नियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त और समुचित' व्यक्ति घोषित नहीं किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने, या निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी, या नियंत्रक शेयरधारक बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक वह व्यक्ति उस नियामक प्राधिकरण के 'उपयुक्त और समुचित' मानदंडों को पूरा नहीं कर लेता।

8. जानकारी प्रदान करना

(1) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के लिए, आवेदक से कोई भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग कर सकता है।

(2) आवेदन पर विचार करते समय, प्राधिकरण आवेदक से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखने या स्पष्टीकरण देने की मांग भी कर सकता है।

(3) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र देने से पहले, आवेदक के कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकता है।

9. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

- (1) प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक इन नियमों में बताए गए योग्यता मानदंडों और शर्तों को पूरा करता है, लागू शुल्क के भुगतान के अध्यक्षीन, पेंशन निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दे सकता है।
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना प्राधिकरण द्वारा यथोचित शर्तों और नियमों, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं, के अध्यक्षीन हो सकता है; इनमें विशेष संचालनात्मक या वित्तीय शर्तों का पालन करना शामिल है।
- (3) यदि प्राधिकरण, आवेदन की जांच करने के बाद, इस राय पर पहुँचता है कि रजिस्ट्रीकरण नहीं दिया जा सकता है, तो वह आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा, और उन्हें ठीक करने के लिए तीस (30) दिन का समय देगा।
- (4) यदि आवेदक तय समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार उन कमियों को ठीक करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण आवेदन को खारिज कर सकता है और आवेदक को इसकी सूचना इसके कारणों के साथ प्रदान करेगा।
- (5) किसी पेंशन निधि को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, या पेंशन निधि द्वारा स्वेच्छा से वापस न कर दिया जाए:

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को स्वेच्छा से वापस करना तभी प्रभावी होगा, जब प्राधिकरण उसे स्वीकार कर ले।

10. जारी अनुपालन

पेंशन निधि को हर समय:

(क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के भीतर पूरी तरह से कार्यशील कार्यालय का रखरखाव करना होगा, जो निवेश प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, सुविधा और उद्यमशीलता का कार्य सहित उसकी वर्तमान और प्रक्षेपित संचालनों के लिए पर्याप्त हो। यह कार्यालय सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र, संचार उपकरण और डेटा संग्रहण क्षमताओं सहित आवश्यक मूलभूत अवसंरचना (लेकिन बाज़ार तक सीमित नहीं) से सुसज्जित होना चाहिए;

स्पष्टीकरण - पेंशन निधि द्वारा तैनात सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में निवेश विश्लेषण, ट्रेडिंग, जोखिम निगरानी, मूल्यांकन, अभिलेखन और साइबर सुरक्षा सहित इसके संचालन के सभी पहलुओं को कवर करते हुए व्यापक आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास

और कार्यान्वयन, नीतियों और प्रक्रियाओं का नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और उन्हें अद्यतन किया जाएगा, शामिल हैं;

(ख) निवेश के लिए निर्णय लेना, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, शिकायत निवारण सभी श्रेयों को कवर करने वाली व्यापक आंतरिक नीतियों और निवेश बनाना और लागू करना - जिसमें शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और उन्हें अद्यतन किया जाएगा;

(ग) समय-समय पर यथा-संशोधित अंतरराष्ट्रीय परमाणु केंद्र प्राधिकरण (एएमएल/सीएफटी/केवाईसी) दिशानिदेश, 2022 का पालन करना होगा;

(घ) उद्यमियों के लिए सुपरिभाषित भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का पर्याप्त पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग रेखाओं सहित स्पष्ट संगठनात्मक फ्रेमवर्क स्थापित करना होगा; और

(ङ) अधिनियम के सभी उपबंधों, इन विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संगत अनुषंगी अनुदेशों, और इनके साथ-साथ अन्य लागू कानूनों का सतत अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय III

योजना की विशेषताएं

11. योगदान की संरचना

- (1) पेंशन निधि अभिदाताओं को अपने योगदान की आवृत्ति और राशि तय करने की छूट प्रदान करेगी।
- (2) पेंशन निधि, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, न्यूनतम योगदान राशि का निर्धारण कर सकती है।

12. निवेश के विकल्प और योजना के प्रकार

- (1) पेंशन निधि निवेश के कई विकल्प प्रदान कर सकती है, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

(क) सक्रिय विकल्प: अभिदाता तय सीमा के विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग में अपनी परिसंपत्ति को सक्रिय रूप से चुन सकते हैं; और

(ख) स्वतः विकल्प (जीवन चक्र निधि): यह एक स्वतः विकल्प है, जिसमें परिसंपत्ति आवंटन, अभिदाता की आयु के आधार पर स्वतः परिवर्तित होता रहता है, जैसे जैसे वे सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, यह समय के साथ-साथ आक्रामक से रूढ़िवादी हो जाता है।

(2) हर योजना की स्पष्ट रूप से निवेश उद्देश्य, रणनीति और जोखिम रूपरेखा होगी, जिसका विवरण उसका 'योजना सूचना दस्तावेज' में दिया जाएगा।

13. योजना प्रस्तुत करने और स्वीकृति देने की प्रक्रिया

- (1) पेंशन निधि द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हर योजना को ट्रस्ट के रूप में शामिल किया जाएगा।
- (2) पेंशन निधि को हर नई योजना के लिए, या किसी विद्यमान योजना में प्रस्तावित किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी; इसके लिए उसे प्राधिकरण को अपेक्षित जानकारी देनी होगी।
- (3) उप-नियम (2) में उल्लिखित फाइलिंग में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित योजना सूचना दस्तावेज और अन्य जानकारी शामिल होगी।
- (4) पेंशन निधि को ट्रस्टी के पास योजना सूचना दस्तावेज जमा करने से पहले ट्रस्टी नियुक्त करना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ट्रस्टी 'प्रथम अनुसूची' में निर्दिष्ट 'उपयुक्त और समुचित' अपेक्षा को पूरा करता हो।
- (5) प्राधिकरण द्वारा यथा-स्वीकृत योजना को, ऐसी स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने की तारीख से बारह (12) माह में आरंभ किया जाएगा।

14. प्रत्याहरण और बहिर्गमन के विकल्प

(1) किसी योजना के अधीन अभिदाता के लिए उपलब्ध प्रत्याहरण और बहिर्गमन के विकल्प इस प्रकार होंगे:

(क) आंशिक प्रत्याहरण का प्रस्ताव (सेवानिवृत्ति से पूर्व): उच्च शिक्षा, विवाह, गंभीर बीमारी, घर निर्माण, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा अनुमोदित, कम से कम पांच वर्ष की 'परिवंधन अवधि' पूरी होने के बाद, सीमित आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति दी जा सकती है:

वशर्ते कि, आंशिक प्रत्याहरण की राशि अभिदाता के योगदान के पचहत्तर प्रतिशत या योजना सूचना दस्तावेज में यथा उद्घाटित अपेक्षाकृत न्यूनतर सीमा से अधिक नहीं होगी:

वशर्ते यह भी कि गंभीर बीमारी के कारण प्रत्याहरण के मामले में, आंशिक ऐसे प्रत्याहरण को अनुमति न्यूनतम 'परिवंधन अवधि' के बिना दी जा सकती है।

(ख) सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता/निहित अवधि पर: कम से कम वर्ष दस तक योगदान करने पर, या अधिवर्षिता की आयु, जो साठ वर्ष है, पूरी होने पर—जो भी पहले हो—योजना से बहिर्गमन के लिए व्यवस्थित निकासी योजना का विकल्प होगा:

वशर्ते कि अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के मामले में, अभिदाता जमा हुई राशि का प्रत्याहरण, आगे और योगदान के साथ या उसके बिना, तब तक के लिए टाल सकता है, जब तक वह पचहत्तर वर्ष की आयु पूरी न कर ले।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन कॉर्पस का प्रत्याहरण, क्रमबद्ध प्रत्याहरण योजना (एसडब्ल्यूपी) के माध्यम से कुल जमा कॉर्पस के न्यूनतम बीस प्रतिशत के अधीन होगा, और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त के रूप में देय होगी:

वशर्ते कि, जहाँ किसी अभिदाता का कुल जमा कॉर्पस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो, वहाँ सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता पर पूरी राशि एकमुश्त प्रत्याहरित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अभिदाता अधिवर्षिता या निहित अवधि से पहले योजना से बहिर्गमन करता है, तो कुल कॉर्पस का न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत अभिदाता द्वारा क्रमबद्ध प्रत्याहरण योजना के लिए उपयोग किया जाएगा, और कॉर्पस की शेष राशि उप-विनियम (2) में संदर्भित सीमा के अध्वधीन, एकमुश्त प्रत्याहरित की जा सकती है।

(4) अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, संपूर्ण जमा कॉर्पस का भुगतान नामांकित व्यक्ति को, या उसकी अनुपस्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त किया जाएगा।

15. सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)

(1) अभिदाता को प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम दो (2) बार पेंशन निधि को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) प्राधिकरण, द्विपक्षीय समझौतों और लागू विनियामक अनुमोदनों के अध्वधीन, अन्य पेंशन प्रणालियों के साथ अन्तःसंचालन (इंटरऑपरेबिलिटी) के लिए तंत्र निर्दिष्ट कर सकता है।

16. नामांकन

अभिदाता को एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित करने, या ऐसे नामांकन(नों) को परिवर्तित का अधिकार होगा; ये व्यक्ति अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में जमा कॉर्पस प्राप्त करेंगे।

17. स्वास्थ्य देखभाल लाभ विकल्प

- (1) पेंशन निधि 'स्वास्थ्य देखभाल लाभ विकल्प' भी पेश कर सकती है, जो अभिदाता को अपने पेंशन योगदान का एक हिस्सा एक समर्पित 'स्वास्थ्य देखभाल बचत खाते' में आवंटित करने की अनुमति देता है; इस संबंध में जानकारी 'योजना सूचना दस्तावेज़' में शामिल की जाएगी।
- (2) पेंशन निधि द्वारा किसी योजना में प्रस्तुत स्वास्थ्य देखभाल लाभ विकल्प, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

अध्याय IV**निवेश प्रबंधन और परिसंपत्ति आवंटन****18. निवेश के सामान्य सिद्धांत**

किसी पेंशन निधि द्वारा पालन किए जाने वाले निवेश के सामान्य सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- (क) **दीर्घकालिक निवेश क्षितिज:** निवेश रणनीति, पेंशन देयताओं की दीर्घकालिक प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।
- (ख) **विविधीकरण:** जोखिम को कम करने के उद्देश्य से, निवेशों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधिकृत किया जाना चाहिए।
- (ग) **तरलता:** नियमित प्रत्याहरण और भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखी जाएगी।
- (घ) **जोखिम प्रबंधन:** सभी निवेश निर्णयों को आधार देने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाया जाएगा।
- (ङ) **सुरक्षा और समझदारी:** निवेश का मुख्य लक्ष्य योजना की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।
- (च) **देखभाल:** पेंशन निधि अभिदाता की परिसंपत्तियों के एक उत्तरदायी संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।

19. अनुमत निवेश और सीमाएँ

- (1) पेंशन निधि निम्नलिखित में से किसी भी परिसंपत्ति वर्ग में निवेश करेगा:

- (क) सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी इक्विटी;

- (ख) स्थायी आय लिखतें, जैसे सरकारी बॉन्ड, कारपोरेट बॉन्ड, निजी ऋण;
- (ग) वैकल्पिक निवेश निधि;
- (घ) अक्सर ट्रेड किए जाने वाले पण्य;
- (ङ) तरलता प्रबंधन के लिए नकदी और लघु अवधि लिखतें; या
- (च) ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद या लिखत, जो प्राधिकरण द्वारा तय किए जा सकते हैं।

(2) परिसंपत्तियों के हर वर्ग और उप-वर्ग के लिए खास निवेश सीमाएँ तीसरी अनुसूची के भाग-क के अनुसार होंगी, जिसका शीर्षक है “अनुमत निवेश और सीमाएँ”।

(3) किसी योजना के लिए परिसंपत्तियों के हर वर्ग और उप-वर्ग की खास निवेश सीमाएँ पेंशन निधि द्वारा उप-नियम (2) के अनुसार तय की जाएंगी और इसका ब्योरा संबंधित योजना सूचना दस्तावेज़ में भी दिया जाएगा।

20. भौगोलिक विविधीकरण

पेंशन निधि भारत और वैश्विक बाजारों में निवेश के लिए निम्नलिखित अनुमय जोखिम सीमाओं का पालन करेगी:

- (क) **भारत में एक्सपोजर:** भारत में, सभी अनुमत परिसंपत्ति वर्ग में, परिसंपत्तियों में निवेश, योजना की परिसंपत्तियों के अधो प्रबंधन (एयूएम) का सौ प्रतिशत (100%) तक हो सकता है।
- (ख) **वैश्विक बाजार एक्सपोजर (भारत के बाहर):** किसी भी देश में, सभी अनुमत परिसंपत्ति वर्ग में, परिसंपत्तियों में निवेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले के, जहाँ अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत (50%) होगी, के सिवाय योजना के परिसंपत्तियों के अधो प्रबंधन (एयूएम) के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक नहीं होगा,:

स्पष्टीकरण.—इस विनियम के प्रयोजन के लिए, एक्सपोजर सीमा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के निवेश शामिल होंगे।

21. एकाग्रता सीमाएँ

पेंशन निधि, तीसरी अनुसूची के भाग-ख में निर्दिष्ट, एकल जारीकर्ता और प्रतिपक्ष से संबंधित एकाग्रता सीमाओं का पालन करेगा।

अध्याय V

जोखिम प्रबंधन

22. संपूर्ण-उद्यम जोखिम प्रबंधन

(1) प्रत्येक पेंशन निधि व्यापक संपूर्ण-उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करेगी और इसका रखरखाव करेगी, जिसे उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो, ताकि योजना के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और शमन किया जा सके।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित फ्रेमवर्क, पेंशन निधि के संचालन के सभी पहलुओं में एकीकृत होगा।

23. मुख्य जोखिम श्रेणियाँ

(1) पेंशन निधि द्वारा स्थापित जोखिम प्रबंधन ढाँचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट मुख्य जोखिम श्रेणियाँ शामिल होंगी, और ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यप्रणालियाँ, उसमें निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, पेंशन निधि की आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीतियों में उल्लिखित की जाएँगी।

(2) पेंशन निधि मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति लागू करेगी, जिसमें, जहाँ उपयुक्त हो, हेजिंग रणनीतियाँ शामिल होंगी।

24. जोखिम स्वीकार्यता और सीमाएँ

(1) बोर्ड व्यापक और सुव्यवस्थित जोखिम स्वीकार्यता विवरण तैयार करेगा और उसकी समय-समय पर समीक्षा करेगा, जिसमें जोखिम का वह समग्र स्तर निर्दिष्ट होगा जिसे कोई पेंशन निधि योजना के प्रबंधन में वहन करने को तैयार है।

(2) जोखिम स्वीकार्यता विवरण को, संपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ-साथ उसके व्यक्तिगत घटकों के लिए, विशिष्ट, मापने योग्य और कार्रवाई योग्य मात्रात्मक तथा गुणात्मक जोखिम सीमाओं में उचित रूप से रूपांतरित और कार्यान्वित किया जाएगा।

25. जोखिम शासन और निगरानी

(1) पेंशन निधि सुदृढ़ जोखिम शासन ढाँचा लागू करेगी, जिसमें बोर्ड स्तर पर समर्पित जोखिम समिति शामिल होगी, जिसके कार्य और जवाबदेही की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगी।

(2) प्रभावी जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से, पेंशन निधि 'रक्षा की तीन पंक्तियों' वाले मॉडल को अपनाएगी और लागू करेगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य से, 'रक्षा की तीन पंक्तियों' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) **रक्षा की पहली पंक्ति (जोखिम स्वामित्व):** निवेश प्रबंधन और परिचालन कार्य रक्षा की पहली पंक्ति का निर्माण करेंगे, जो मुख्य रूप से अपने कार्यकलापों में निहित सभी जोखिमों की दैनिक पहचान, मूल्यांकन, स्वामित्व और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे; साथ ही वे योजना के निवेश निदेशों और विवेकपूर्ण मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) **रक्षा की दूसरी पंक्ति (जोखिम नियंत्रण):** अनुपालन, कानूनी और जोखिम प्रबंधन कार्य रक्षा की दूसरी पंक्ति का निर्माण करेंगे, जो समग्र जोखिम क्षमता को परिभाषित करने, आंतरिक नियंत्रण नीतियां स्थापित करने, विनियामक आवश्यकताओं और जोखिम सीमाओं के पालन की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने, और किसी भी कमी की रिपोर्ट बोर्ड और ट्रस्टी को देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ग) **रक्षा की तीसरी पंक्ति (स्वतंत्र आश्वासन):** आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य, जिसे सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, रक्षा की तीसरी पंक्ति का निर्माण करेगा। यह ट्रस्टी और प्राधिकरण को, रक्षा की पहली और दूसरी पंक्तियों द्वारा लागू किए गए शासन, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के संबंध में निष्पक्ष और स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करेगा।

26. तनाव परीक्षण और आकस्मिक योजना

- (1) पेंशन निधि, बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अपने पोर्टफोलियो के सुदृढ़ बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, नियमित अंतराल पर व्यापक तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण करेगा।
- (2) पेंशन निधि, सुदृढ़ व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा वसूली योजना (डीआरपी) बनाएगी, उन्हें लागू करेगी और उनका रखरखाव करेगी; इन योजनाओं की नियमित रूप से जाँच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।

अध्याय VI

सामान्य दायित्व और जिम्मेदारियाँ

27. अभिलेखन और प्रशासन

- (1) पेंशन निधि, सभी अभिदाता के डेटा और लेन-देन के लिए व्यापक, सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-रखने की प्रणाली बनाएगी; साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे डेटा की सत्यता, गोपनीयता और उपलब्धता हर समय बनी रहे, और यह सब लागू उपबंधों के अनुसार हो।
- (2) प्रत्येक अभिदाता को पेंशन निधि द्वारा अद्वितीय पेंशन खाता संख्या आवंटित की जाएगी।
- (3) पेंशन निधि, अभिदाता को उसके पेंशन खाते के विवरण तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करेगी; इन विवरणों में लेन-देन का इतिहास, वर्तमान मूल्यांकन और निवेश का आवंटन शामिल होगा।

28. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

- (1) पेंशन निधि, अपने कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन, निवेश पोर्टफोलियो, अनुपालन की स्थिति और किसी भी अन्य जानकारी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित रूप, तरीके और समय-सीमाओं (जिनमें मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं) के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) पेंशन निधि, किसी अभिदाता को अपने साथ जोड़ने के समय, निम्नलिखित बातों का खुलासा करेगी:
 - (क) योजना सूचना दस्तावेज़;
 - (ख) शुल्क और प्रभार;
 - (ग) शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ;
 - (घ) अंशदान, निकासी और बाहर निकलने (exit) से संबंधित नियम और शर्तें;
 - (ङ) वार्षिक आधार पर निष्पादन रिपोर्ट; और
 - (च) वार्षिक समेकित विवरण, जिसमें सभी लेन-देन, निवेश निष्पादन और लिए गए शुल्कों का विस्तृत विवरण हो।
- (3) उप-विनियम (2) के खंड (a) से (d) के अधीन दी गई जानकारी में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन का प्रकटीकरण, अभिदाताओं के सामने तत्काल किया जाएगा।

29. शिकायत निवारण तंत्र

पेंशन निधि, अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। ये कदम, प्राधिकरण द्वारा 02 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए उस परिपत्र के अनुसार होंगे, जिसका शीर्षक है: "आईएफएससी में विनियमित एंटिटियों द्वारा शिकायत प्रबंधन और शिकायत निवारण"।

30. लेखापरीक्षा की आवश्यकता

(1) पेंशन निधि की वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा स्वतन्त्र लेखापरीक्षक द्वारा लागू कानूनों के जाएगी, और इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राधिकरण को मिलने के तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर विशेष लेखापरीक्षा भी करवा सकती है या साथ-साथ लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

31. परिसंपत्तियों का संरक्षण

(1) पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के सभी परिसंपत्तियों को संरक्षक के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाए।

(2) संरक्षक पेंशन निधि से स्वतन्त्र होगा और लागू कानून और नियामक आवश्यकताओं के, अनुसार योजना की परिसंपत्तियों की सुरक्षित देखरेख और समाधान, और होलिंग्स की रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

32. ट्रस्ट का निर्माण

(1) विनियम 13 के सब-विनियम (1) के अधीन ट्रस्ट भारत में लागू विधानों के अधीन निर्मित किया जाएगा।

(2) ट्रस्ट डीड में इन विनियमों के अधीन बताई गई अपेक्षाओं के अनुसार ट्रस्टी की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व भी शामिल होंगे।

33. ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए पात्रता

जिस एंटिटी को ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है, उसे नीचे दी गई पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

- (क) वह पेंशन निधि से स्वतंत्र होनी चाहिए;
- (ख) उसे ट्रस्टी के तौर पर कार्य करने के लिए प्राधिकरण या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामक से अधिकृत/रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए; और

- (ग) उसके पास अपने कार्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त अवसंरचना, जनशक्ति और अन्य संबंधित संसाधन होने चाहिए।

34. ट्रस्टी की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

- (1) ट्रस्टी, उसके सभी निदेशक, अधिकारी और उसकी शासी निकाय के सदस्य, हर समय, अभिदाताओं के लाभ के लिए एक न्यासी की हैसियत से कार्य करेंगे, और योजना के मामलों का प्रबंधन और प्रशासन पूरी तरह से अभिदाताओं के हित में करेंगे, जिसका उद्देश्य उनके सेवानिवृत्ति लाभों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना होगा।
- (2) ट्रस्टी अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन उस सावधानी, तत्परता, कौशल और विवेक के साथ करेगा, जैसा कि कोई उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी समान उद्यम के संचालन में करता है, और वह इन विनियमों, ट्रस्ट डीड और अन्य लागू विधानों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।
- (3) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि हितों के संभावित या वास्तविक टकराव की स्थिति में, अभिदाताओं के हितों को अन्य सभी हितों पर प्राथमिकता दी जाए, जिसमें ट्रस्टी, पेंशन निधि या किसी भी संबंधित पक्ष के हित शामिल हैं।
- (4) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि योजना का प्रशासन, योजना सूचना दस्तावेज़, इन विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सहायक अनुदेशों और अन्य लागू विधानों के पूर्ण अनुपालन में किया जाएगा।

35. वितरक की नियुक्ति

- (1) पेंशन निधि, अभिदाताओं के विपणन, आग्रह या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक वितरकों को नियुक्त कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) में संदर्भित नियुक्ति के बावजूद, पेंशन निधि, नियुक्त किए गए किसी भी वितरक के आचरण, अनुपालन और कार्यकलापों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से उत्तरदायी होगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा वितरक इन विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निदेश का पालन करे।

36. अभिदाता की शिक्षा और जागरूकता

- (1) पेंशन निधि संभावित अभिदाताओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और योजना के संचालन, विभिन्न निवेश विकल्पों से जुड़े जोखिमों, शुल्क संरचना और अभिदाता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में समय पर, सटीक और पूरी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मुख्य शैक्षिक सामग्री, निष्पादन से जुड़ी जानकारी और योजना से संबंधित विवरण हर अभिदाता को आसानी से उपलब्ध होने वाले, स्पष्ट और समझने में आसान प्रारूप में दिए जाएं।

37. नियंत्रण में परिवर्तन

पेंशन निधि अपने नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के मामले में प्राधिकरण से पहले से स्वीकृति लेगी:

बशर्ते कि, जहाँ पेंशन निधि जो शाखा के रूप में कार्य कर रही है, उसे अपने मुख्य कार्यस्थल पर अपने क्षेत्रीय नियामक से पहले से स्वीकृति लेनी ज़रूरी हो, तो वह ऐसे परिवर्तन की जानकारी प्राधिकरण को, उसके होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर दे देगा।

38. शुल्क का भुगतान

पेंशन निधि वार्षिक शुल्क, योजना जानकारी दस्तावेज़ फाइल करने का शुल्क, और कोई भी अन्य शुल्क, जैसा कि प्राधिकरण समय-समय पर तय करेगी, का भुगतान करेगी।

अध्याय VII

वित्तीय पहलू

39. पेंशन निधि द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क और प्रभार

- (1) पेंशन निधि, अभिदाताओं पर शुल्क और प्रभार लगाने के लिए प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन उल्लिखित प्रभारों में खाता खोलने का शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क, निवेश प्रबंधन शुल्क (प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में), और लेनदेन शुल्क शामिल हो सकते हैं।
- (3) पेंशन निधि, अभिदाताओं पर लगाए जाने वाले सभी प्रस्तावित शुल्कों और प्रभारों का पूरा विवरण, योजना सूचना दस्तावेज़ और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों में प्रकट करेगी।

40. मूल्यांकन और निवल परिसंपत्ति मूल्य की गणना

- (1) योजना की परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन दैनिक आधार पर, बाजार मूल्यों पर, पेंशन निधि द्वारा पूरी तरह से प्रकट और प्रलेखित कार्यप्रणालियों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक योजना के लिए प्रति यूनिट निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना और घोषणा दैनिक रूप से की जाएगी, जो परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में से देयताओं को घटाकर, बकाया यूनिटों की संख्या से भाग देने पर आधारित होगी।
- (3) पेंशन निधि, मूल्यांकन कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड या प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक को, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

अध्याय VIII

अनुपालन और प्रवर्तन

41. निरीक्षण और अन्वेषण

- (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी किसी पेंशन निधि, संरक्षक, ट्रस्टी या किसी अन्य व्यक्ति की बहियों, खातों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचना, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निरीक्षण निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है:

- i) इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ii) अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना; या
- iii) प्राधिकरण द्वारा यथा उचित कोई अन्य उद्देश्य।

- (2) प्राधिकरण के पास अन्वेषण करने की शक्ति भी होगी।

42. व्यतिक्रम की स्थिति में कार्रवाई

- (1) यदि कोई पेंशन निधि, संरक्षक या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पेंशन संबंधी कार्यकलापों से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति, इन विनियमों के किसी भी उपबंध, या इनके अधीन जारी किसी सहायक निदेश का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण यथोचित कार्रवाई शुरू कर सकता है।

- (2) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट कोई भी कार्रवाई, पेंशन निधि, संरक्षक, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पेंशन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को (जैसा भी मामला

हो) लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी बात कहने का उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

अध्याय IX

विविध उपबंध

43. विनियमों के कठोर प्रवर्तन में छूट देने की शक्ति

(1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पेंशन पारिस्थितिकीतंत्र के विकास के हित में, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के दृक्थोर प्रवर्तन में छूट दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, आवेदन जिसमें विवरण और वे आधार दिए गए हों जिन पर ऐसी छूट मांगी जा रही है, प्राधिकरण के पास प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ जमा किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन किया गया कोई आवेदन, जो सभी दृष्टियों से पूर्ण हो, उसकी प्राप्ति की तारीख से, या यदि प्राधिकरण द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटारा, आवेदक द्वारा मांगी गई छूटों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके करेगा।

44. जानकारी मांगने की शक्ति

प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पेंशन पारिस्थितिकीतंत्र से जुड़े किसी पेंशन निधि, ट्रस्टी, संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकता है।

45. प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की शक्ति

प्राधिकरण, समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए, सहायक निदेशों के माध्यम से, मानदंड, प्रक्रियाएं, कार्यप्रणालियां या अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्धारित कर सकता है।

46. कठिनाइयों को दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण निदेश, स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन नोट या सहायक निदेश जारी कर सकता है।

47. साइबर सुरक्षा और साइबर सुदृढता

पेंशन निधि के पास, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार, सुदृढ साइबर सुरक्षा और साइबर सुदृढता ढांचा होना चाहिए।

48. शक्तियों का प्रत्यायोजन

इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, प्राधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों।

49. अधिभावी प्रभाव

इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई भी विनियम, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी पेंशन योजना पर उस सीमा तक लागू नहीं होगा, जिस सीमा तक वे इन विनियमों के संगत नहीं हैं।

प्रथम अनुसूची
उपयुक्त और समुचित होने की अपेक्षाएं
 [विनियम 7(1) और 13(4) देखें]

किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त और समुचित व्यक्ति' माना जाएगा, यदि:-

- (क) उस व्यक्ति का रिकॉर्ड निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा वाला हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-
 - (i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
 - (ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
 - (iii) सच्चाई।
- (ख) उस व्यक्ति पर निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता लागू न हो -
 - (i) उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, या कोई आर्थिक अपराध हो, या प्रतिभूति विधानों के विरुद्ध कोई अपराध हो;

- (ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी भारतीय प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में आरोप-पत्र फ़ाइल किया गया हो और वह लंबित हो;
- (iii) आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में किसी न्यायालय या उसके समकक्ष संस्था द्वारा आरोप तय किए गए हों;
- (iv) किसी वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई हो और वह लंबित हो;
- (v) उस व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार के लिए कोई आदेश पारित किया गया हो;
- (vi) उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो और उसे मुक्त न किया गया हो;
- (vii) किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा, प्रतिभूति विधानों या वित्तीय सेवा बाजार से जुड़े किसी भी मामले में, उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने या उनमें लेन-देन करने से रोकने, मना करने या प्रतिबंधित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश अभी भी प्रभावी हो;
- (viii) उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश, जिसका वित्तीय सेवा बाजार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो, प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया हो, और उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो:

स्पष्टीकरण – उपर्युक्त उपबंध के लिए, 'महत्वपूर्णता' निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण का होगा;

- (ix) किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को 'विकृत चित्त' (मानसिक रूप से अस्वस्थ) पाया गया हो और वह निर्णय अभी भी प्रभावी हो;
- (x) वह व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ न हो या उसे 'जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाला' घोषित किया गया हो;
- (xi) उस व्यक्ति को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया हो; या
- (xii) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

द्वितीय अनुसूची
हेल्थकेयर बेनिफिट विकल्प
[नियम 17(2) देखें]

स्वास्थ्य देखभाल लाभ विकल्प देने के लिए अनुपालन अपेक्षाएं –

- 1) **उप-खाता:** पेंशन निधि को उन अभिदाताओं के लिए पृथक “स्वास्थ्य देखभाल उप-खाता” रखना होगा जो इस लाभ को चुनते हैं, और इस उप-खाता में किए गए योगदान को मुख्य पेंशन योगदान से पृथक रखा जाएगा।
- 2) **नियामक स्वीकृति:** जो पेंशन निधि यह विकल्प देना चाहती है, उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पहले से स्वीकृति लेनी होगी और उसे किसी लाइसेंसशुदा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता या स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रशासक के साथ टाई-अप दिखाना होगा।
- 3) **स्वैच्छिक योगदान:** स्वास्थ्य देखभाल लाभ विकल्प स्वैच्छिक आधार पर दिया जाएगा, और अभिदाता अपने नियमित योगदान का एक हिस्सा इस उप-खाते में डाल सकते हैं, या अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं।
- 4) **योगदान की सीमाएँ:** अभिदाता अपने कुल योगदान का अधिक से अधिक दस प्रतिशत अपने हेल्थकेयर सब-अकाउंट में डाल सकता है।
- 5) **निवेश का आदेश:** उप-खाते में जमा निधि को कम जोखिम वाले, अत्यधिक तरलता पोर्टफोलियो में निवेश किया जा सकता है, जिसमें सरकारी बॉन्ड और मनी मार्केट लिखत शामिल हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि वे स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हों।
- 6) **अधिकृत उपयोग:** उप-खाते से निधि का प्रयोग सिर्फ अस्पताल के खर्चों के लिए किया जाएगा, जैसा कि पेंशन निधि द्वारा जारी योजना सूचना दस्तावेज में बताया गया है।
- 7) **सेवानिवृत्ति-पूर्व पहुँच:** उप-खाते से निधि को चिकित्सीय आपातस्थिति या पहले से तय स्वास्थ्य देखभाल व्यय के लिए किसी भी समय प्रत्याहारित जा सकता है।
- 8) **सेवानिवृत्ति और नवीनीकरण:** सेवानिवृत्ति के बाद, बचे हुए किसी भी शेष का उपयोग स्वास्थ्य बीमा के क्रय के लिए किया जा सकता है या उसे मुख्य पेंशन निधि में नवीनीकरण किया जा सकता है।

तृतीय अनुसूची
भाग – क
अनुमत निवेश और सीमाएँ
[विनियम 19(2) देखें]

सभी अनुमेय जोखिमों की गणना पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के आधार पर की जाएगी।

I. स्थायी आय लिखत:

1. **सरकारी बॉन्ड:** पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा सरकारी ऋण में निवेश किया जा सकता है, जैसे कि भारत सरकार के बॉन्ड, और उच्च वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड।
2. **कारपोरेट बॉन्ड:** कारपोरेट बॉन्ड में अधिक से अधिक 40% हिस्सा लगाया जा सकता है, जिसमें से कम से कम 70% हिस्सा उन प्रतिभूति में लगाया जाएगा जिनकी रेटिंग बीबीबी या उससे अधिक हो। अगर किसी ऐसी प्रतिभूति की रेटिंग तय सीमा से नीचे चली जाती है, तो निवेश की सीमाओं का पालन करने के लिए 12 माह के भीतर उसे वापस पुनः निवेश योग्य बनाना होगा।
3. **उच्च-उत्पादकता/गैर-निवेश ग्रेड:** पोर्टफोलियो का अधिक से अधिक 5% हिस्सा उच्च-उत्पादकता बॉन्ड में लगाया जा सकता है, बशर्ते उस पर पूरी तरह से क्रेडिट विश्लेषण किया गया हो।

इस योजना के निवेश के लिए, किसी एक साख निर्धारण अभिकरण (चाहे वह देशीय हो या अंतरराष्ट्रीय) की रेटिंग ही काफी मानी जाएगी।

II. इक्विटीज़

1. **कुल इक्विटी एक्सपोज़र:** पेंशन निधि द्वारा शुरू की गई योजना की प्रकृति के आधार पर, इक्विटीज़ में कुल 100% तक का हिस्सा लगाया जा सकता है।
2. **घरेलू इक्विटीज़:** भारतीय इक्विटीज़ में अधिक से अधिक 100% तक का निवेश किया जा सकता है।
3. **लार्ज-कैप:** घरेलू इक्विटी आवंटन का कम से कम 50% हिस्सा लार्ज-कैप शेयरों में होना चाहिए।

4. **मिड और स्मॉल-कैप:** घरेलू इक्विटी आवंटन का अधिकतम 40% हिस्सा मिड और स्मॉल-कैप शेयरों में हो सकता है; और यदि पुनर्वर्गीकरण या बाजार पूंजीकरण में परिवर्तन के कारण कोई उल्लंघन होता है, तो निर्धारित निवेश सीमाओं का पालन फिर से सुनिश्चित करने के लिए बारह माह की सुधार अवधि की अनुमति दी जाएगी।
5. **विदेशी इक्विटी:** अधिकतम 100% हिस्सा विदेशी इक्विटी में आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि विभिन्न विकसित और उभरते बाजारों में उचित विविधीकरण किया गया हो।

III. वैकल्पिक निवेश

कुल कोष का वैकल्पिक निवेशों में कुल अधिकतम अनुमत आवंटन, कुल पोर्टफोलियो मूल्य के पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक नहीं होना चाहिए; और वैकल्पिक निवेशों के भीतर अलग-अलग उप-श्रेणियों के लिए निवेश सीमाएँ निम्नानुसार प्रकार होंगी:

1. **भू-संपदा निवेश ट्रस्ट (आरआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीटी):** इन साधनों में अधिकतम 10% हिस्सा आवंटित किया जा सकता है; ये साधन, कुछ सीमा तक तरलता के साथ, वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं।
2. **प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल:** इन अतरल परिसंपत्तियों में अधिकतम 5% निवेश किया जा सकता है; ऐसे निवेशों का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए और वे योजना के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए।
3. **पण्य:** अक्सर ट्रेड किए जाने वाले पण्यों में अधिकतम 5% हिस्सा आवंटित किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड निधि (ईटीएफ) के माध्यम से किया जाएगा।

भाग – ख
सांद्रता सीमाएँ
(विनियम 21 देखें)

I. एकल जारीकर्ता सीमा

किसी एक कारपोरेट एंटीटी या उसके संबंधित पक्षों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों (जिनमें ऋण और इक्विटी दोनों शामिल हैं) में कुल निवेश, योजना के कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि यह सीमा सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगी।

II. प्रतिपक्ष सीमा:

1. **प्रायोजक समूह कंपनियाँ (ऋण):** किसी प्रायोजक समूह कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, सभी प्रायोजक समूह कंपनियों की कुल निवल मूल्य के पाँच प्रतिशत (5%) तक, या संबंधित योजना के प्रबंधन के अधीन कुल परिसंपत्ति (एयूएम) के पाँच प्रतिशत (5%) तक सीमित होगा; इन दोनों में से जो भी राशि कम हो, उसे ही सीमा माना जाएगा।
2. **अप्रायोजक समूह कंपनियाँ (ऋण):** किसी एक अप्रयोजक समूह कंपनी की ऋण प्रतिभूति में निवेश, सभी अप्रयोजक समूह कंपनियों के निवल मूल्य के दस प्रतिशत (10%) तक, या संबंधित योजना के परिसंपत्ति अधो प्रबंधन (एयूएम) के दस प्रतिशत (10%), इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा;
3. **उद्योग सांद्रता:** उद्योग क्षेत्र में निवेश, पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सभी योजनाओं के कुल परिसंपत्ति अधो प्रबंधन (एयूएम) के पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. **किसी कंपनी में इक्विटी निवेश:**
 - क) प्रायोजक समूह कंपनियों के लिए प्रदत्त पूंजी का अधिकतम पाँच प्रतिशत (5%); और
 - ख) अप्रायोजक समूह कंपनियों के लिए अधिकतम दस प्रतिशत (10%)।
5. **जमा:** सावधि जमा के लिए, हर योग्य बैंक में अधिकतम दस प्रतिशत (10%) निवेश की अनुमति है।

चौथी अनुसूची जोखिम प्रबंधन

[विनियम 23(1) देखें]

किसी भी योजना की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके संचालन की जटिलता और पैमाने को देखते हुए, इसके लिए एक सुदृढ़ ढांचे के भीतर विभिन्न श्रेणियों – वित्तीय बाजार जोखिमों से लेकर परिचालन और नियामक जोखिमों तक – में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और शमन की आवश्यकता होती है। यह फ्रेमवर्क पेंशन निधि को इन जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विनियामक मानकों का पालन करने में सक्षम बनाता है।

1. जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

पेंशन निधि को ऐसी प्रक्रियाएं और कार्यविधियां स्थापित करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि निवेश जीवनचक्र के दौरान जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान की जाएगी और उनका शमन किया जाएगा।

1.1 सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना

पेंशन निधि औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करेगी जो योजना की समग्र शासन संरचना में समेकित हो और जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

- क) **जोखिम की पहचान:** पेंशन निधि को योजना के संचालन में सभी संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए, जिसमें वित्तीय जोखिम (बाजार, ऋण, तरलता), परिचालन जोखिम (प्रक्रिया में रुकावटें, प्रणाली की विफलताएं), और विनियामक जोखिम (कानूनों और विनियमों का अनुपालन) शामिल हैं।
- ख) **जोखिम का मूल्यांकन:** एक बार पहचान हो जाने के बाद, प्रत्येक जोखिम का मूल्यांकन योजना के प्रदर्शन और संचालन पर उसके संभावित प्रभाव के संदर्भ में किया जाना चाहिए; इसके लिए पेंशन निधि प्रत्येक जोखिम की गंभीरता और संभावना का आकलन करने हेतु मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों प्रकार की जोखिम मूल्यांकन विधियों का उपयोग करेगा।
- ग) **जोखिम का शमन:** पेंशन निधि को पहचाने गए जोखिमों को कम करने या उनका प्रबंधन करने के लिए रणनीतियां विकसित करनी

चाहिए, जिसमें जोखिम सीमाएं निर्धारित करना, पोर्टफोलियो का विविधीकरण करना, हेजिंग (जोखिम से बचाव) के लिए व्युत्पन्न जैसे वित्तीय लिखतों का उपयोग करना, और परिचालन जोखिम को कम करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों को लागू करना शामिल है।

- घ) **जोखिम की निगरानी और रिपोर्टिंग:** जोखिम के स्तर की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार की स्थितियों या आंतरिक संचालन में किसी भी परिवर्तन को तुरंत संबोधित किया जाए। इस संबंध में, पेंशन निधि के पास वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड को जोखिमों की रिपोर्ट करने के लिए प्रणालियां होनी चाहिए; इन प्रणालियों में आवधिक जोखिम रिपोर्टें शामिल होंगी जो योजना की जोखिम प्रोफाइल का समग्र अवलोकन प्रदान करेंगी।
- ङ) **जोखिम शासन:** जोखिम प्रबंधन ढांचे की देखरेख अनुपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होगी। यह अधिकारी सीधे वरिष्ठ प्रबंधन या बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम को योजना की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समेकित किया गया है।

2. जोखिमों के प्रकार

एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में संभावित जोखिमों की विस्तृत शृंखला को संबोधित किया जाना चाहिए जो योजना को प्रभावित कर सकते हैं, और नीचे जोखिमों के वे मुख्य प्रकार दिए गए हैं जिन पर पेंशन निधि को विचार करना चाहिए और जिन्हें कम करना चाहिए:

2.1 बाज़ार जोखिम

- क) **परिभाषा:** बाज़ार जोखिम का तात्पर्य परिसंपत्तियों (जैसे स्टॉक, बॉन्ड, पण्य या मुद्राएँ) के बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले संभावित हानि से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- i. **मूल्य जोखिम:** यह जोखिम कि किसी प्रतिभूति या परिसंपत्ति का मूल्य प्रतिकूल दिशा में बदल सकता है, जैसे कि स्टॉक की कीमतों में गिरावट, या बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि;

- ii. **अस्थिरता जोखिम:** यह जोखिम कि बाज़ार की अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे अपेक्षा से अधिक बड़े मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है;
- iii. **ब्याज दर जोखिम:** यह जोखिम कि ब्याज दरों में परिवर्तन पोर्टफोलियो में मौजूद निश्चित-आय वाली प्रतिभूतियों (जैसे बॉन्ड) के मूल्य को प्रभावित कर सकता है; और
- iv. **मुद्रा जोखिम:** यह जोखिम कि विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय या रिटर्न का मूल्य, विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

ख) शमन: बाज़ार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, पेंशन निधि को विविधीकरण, व्युत्पन्नों के साथ हेजिंग, और परिसंपत्ति आवंटन जैसी रणनीतियों को अपनाना चाहिए, जो योजना के विभिन्न प्रकार के बाज़ार जोखिमों के प्रति जोखिम को संतुलित करती हैं; साथ ही, अस्थिर परिसंपत्तियों के प्रति जोखिम को कम करने के लिए हानि-रोधक आदेश और गतिशील परिसंपत्ति पुनर्संतुलन का भी उपयोग किया जा सकता है।

2.2 क्रेडिट जोखिम

क) परिभाषा: क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य है कि अगर कोई प्रतिभूति जारी करने वाला (जैसे कारपोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड) या किसी लेन-देन का दूसरा पक्ष अपनी वित्तीय उत्तरदायित्व पूरे करने में असमर्थ रहता है, तो क्षति न होने की संभावना होती है। इसमें निम्नांकित शामिल हैं:

- i. **डिफॉल्ट जोखिम:** यह जोखिम कि कोई बॉन्ड या ऋण की लिखत जारी करने वाला व्यक्ति मूलधन या ऋण पर लगने वाला ब्याज चुकाने में असमर्थ हो सकता है; और
- ii. **दूसरा पक्ष जोखिम:** यह जोखिम कि किसी वित्तीय लेन-देन में (जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या रीपरचेज़ एग्रीमेंट में) दूसरा पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में डिफॉल्ट कर सकता है।

ख) शमन: पेंशन निधि को उच्च-गुणवत्ता वाली, निवेश-योग्य प्रतिभूति में निवेश करके, जारी करने वालों का पूरी तरह से क्रेडिट मूल्यांकन करके, और अलग-अलग क्षेत्रों और स्थानों पर क्रेडिट का विविधीकरण करके क्रेडिट जोखिम को न्यूनीकृत करना चाहिए। साथ

ही, वे क्रेडिट जोखिम से बचाव के लिए क्रेडिट व्यतिक्रम स्वैप (सीडीएस) या क्रेडिट से जुड़े अन्य लिखतों का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं।

2.3 तरलता जोखिम

क) परिभाषा: तरलता जोखिम तब पैदा होता है जब पेंशन निधि बाज़ार में किसी परिसंपत्ति को उसकी कीमत पर अधिक प्रभाव डाले बिना खरीद या बेच नहीं पाता, या जब योजना अपनी छोटी अवधि के वित्तीय उत्तरादायित्वों (जैसे पेंशन खातों से धन का प्रत्याहरण) को पूरा नहीं कर पाते। इसमें निम्नांकित शामिल हैं:

- i. **परिसंपत्ति तरलता जोखिम:** यह जोखिम कि परिसंपत्तियों को बिना किसी हानि के जल्दी से नकदी में नहीं बदला जा सकता;
- ii. **निधिकरण तरलता जोखिम:** यह जोखिम कि योजना के पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ (जैसे निवेशकों को पैसे वापस करना या ऑपरेशनल खर्च) पूरी करने के लिए पर्याप्त कैश या लिक्विड परिसंपत्तियों नहीं हैं।

ख) शमन: तरलता जोखिम को कम करने के लिए, पेंशन निधि को नकदी या बहुत अधिक तरल परिसंपत्तियों का तरल बफ़र बनाए रखना चाहिए, जिसे छोटी अवधि के उत्तरादायित्व पूरे करने के लिए आसानी से उपयोग किया जा सके। साथ ही, उन्हें पोर्टफ़ोलियो में मौजूद परिसंपत्तियों की तरलता प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन करना चाहिए, कम तरल परिसंपत्तियों में निवेश सीमित रखना चाहिए, और बाज़ार की कठिन स्थितियों में संभावित तरलता की कमी का अंदाज़ा लगाने के लिए तनाव परीक्षण करने चाहिए।

2.4 संचालनात्मक जोखिम

क) परिभाषा: संचालनात्मक जोखिम आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों, प्रणाली या बाहरी घटनाओं में हुई गड़बड़ियों के कारण पैदा होता है। इसमें निम्नांकित शामिल हैं:

- i. **मानवीय भूल:** कर्मचारियों या प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियाँ, जैसे लेन-देन को गलत तरीके से पूरा करना या डेटा एंट्री में गलतियाँ करना;
- ii. **प्रणाली की विफलता:** प्रोग्रामिंग में आई खराबी, जैसे सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ियाँ या साइबर सुरक्षा में सेंध लगना; और
- iii. **प्रक्रिया में विफलता:** आंतरिक प्रक्रियाओं या नियंत्रणों में कमियाँ, जैसे खातों का सही ढंग से मिलान न कर पाना या लेन-देन को समय पर संसाधित न कर पाना।

ख) शमन: परिचालन जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, पेंशन निधि को सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए बैकअप प्रणाली लागू करने चाहिए; साथ ही, परिचालन विफलताओं की संभावना को कम करने में मदद के लिए नियमित लेखापरीक्षा करना, प्रक्रिया स्वचालन लागू करना और निरंतर सुधार की पहल करना चाहिए।

2.5 अनुपालन जोखिम

क) परिभाषा: अनुपालन जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है कि पेंशन निधि विधानों, विनियमों या संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफल हो सकता है; इसमें निम्नलिखित से जुड़े जोखिम शामिल हैं:

- i. **नियामक गैर-अनुपालन:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या किसी अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता;
- ii. **कानूनी विवाद:** पेंशन निधि या योजना से जुड़े संभावित मुकदमे या कानूनी कार्रवाई; और
- iii. **संविदात्मक जोखिम:** निवेशकों, संरक्षक या सेवा प्रदाताओं से संबंधित संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता का जोखिम।

ख) शमन: अनुपालन जोखिमों को सभी संबंधित विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करके कम किया जाना चाहिए, जिसमें कानूनी दायित्वों की आवधिक समीक्षा भी शामिल है; साथ ही, अनुपालन अधिकारी को नियामक परिवर्तनों की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन निधि और योजना, दोनों लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हों।

3. तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण

बाजार और आर्थिक स्थितियों की अप्रत्याशितता को देखते हुए, पेंशन निधि को नियमित रूप से यह आकलन करना चाहिए कि विभिन्न तनावपूर्ण परिदृश्यों के अधीन योजना कैसा प्रदर्शन करेगी; इसके लिए उसे तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग करके योजना के पोर्टफोलियो और परिचालन में मौजूद कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए, ताकि प्रतिकूल परिणामों के लिए पहले से तैयारी की जा सके।

3.1 तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का संचालन

क) परिभाषाएँ

- i. **तनाव परीक्षण:** तनाव परीक्षण में बाजार की अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों—जैसे कि बाजार में भारी गिरावट, ब्याज दरों में अचानक वृद्धि, या प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं का अनुकरण करना शामिल है — ताकि योजना के पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके; साथ ही, यह आकलन किया जा सके कि क्या योजना का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क बाजार के झटकों को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ है।
- ii. **परिदृश्य विश्लेषण:** परिदृश्य विश्लेषण विभिन्न "क्या होगा यदि" परिदृश्यों जैसे कि मुद्रास्फीति दरों, ब्याज दरों या आर्थिक विकास में परिवर्तन की जाँच करता है—ताकि योजना के रिटर्न और जोखिम प्रोफाइल पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को समझा जा सके; यह पेंशन निधि को विभिन्न व्यापक आर्थिक स्थितियों के अधीन संभावित जोखिमों को समझने में मदद करता है।

ख) निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक उपाय

तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं:

- क) **परिसंपत्ति आवंटन में समायोजन:** तनाव परीक्षण के परिणामों के आधार पर, पेंशन निधि योजना के पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने का निर्णय ले सकता है, ताकि उच्च-जोखिम वाले या अतरल परिसंपत्तियों में निवेश के जोखिम को कम किया जा सके;
- ख) **जोखिम कम करने की रणनीतियाँ:** पेंशन निधि संभावित तरलता जोखिमों से बचाव के लिए अतिरिक्त हेजिंग रणनीतियाँ लागू करने, व्युत्पन्न स्थितियों को समायोजित करने, या तरल नकद राशि बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है; और
- ग) **आकस्मिक योजनाएँ:** तनाव परीक्षण से आकस्मिक योजनाओं को अद्यतन करने या आपातकालीन तरलता लाइनों को स्थापित करने की आवश्यकता समझ आ सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकट के समय भी योजना निवेशकों के रिडेम्पशन अनुरोधों को पूरा कर सके।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./05/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 30th March, 2026

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
(PENSION FUND) REGULATIONS, 2026**

F. No. IFSCA/GN/2026/007.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 12 and Section 50A of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -*

**CHAPTER I
PRELIMINARY****1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Pension Fund) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives

These regulations provide the regulatory framework for registration, regulation and supervision of the Pension Funds in the International Financial Services Centre in India, with the objectives of establishing a robust framework for long-term retirement savings, promoting a secure and transparent environment for subscribers, protecting their interests and maintaining the integrity of the pension ecosystem in IFSC.

3. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -
- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under the sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (c) “Board” refers to the Board of Directors of a Pension Fund;

- (d) “Contribution” means the amount deposited by or on behalf of a Subscriber into his/her Pension Account;
- (a) “Credit Rating Agency” means a person who is engaged in the business of rating of Securities, Financial Products, issuers or sovereigns, and is regulated by the Authority or other relevant financial sector regulator, in India or any foreign jurisdiction, as a credit rating agency;
- (b) “Custodian” means a person who is engaged in the business of providing the services of safekeeping the Financial Products, and is regulated by the Authority or other relevant financial sector regulator, in India or any foreign jurisdiction, as a custodian;
- (c) “Key Managerial Personnel” refers to the Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Chief Financial Officer, Compliance Officer, and such other officer who may be appointed/designated as Key Managerial Personnel by the Pension Fund;
- (d) “Net Worth” means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;
- (e) “Pension Account” means an account opened by a Subscriber with a Pension Fund, which, *inter-alia* reflects the Subscriber’s contributions, investment returns and withdrawals;
- (f) “Pension Fund” means an entity which has been granted a certificate of registration under these regulations by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the Subscriber;
- (g) “Scheme” means a scheme of Pension Fund approved by the Authority;
Explanation.- Scheme shall be voluntary in nature and consisting of a specific investment option or product offered by a Pension Fund having distinct investment objectives, strategies, and risk profiles.
- (h) “Scheme Information Document” means the document containing all material information including investment objectives, asset allocation strategy and risk profile about a specific Scheme offered by a Pension Fund;
- (i) “Single Window IT System (SWIT)” refers to an online platform designed by the Authority, *inter-alia* to facilitate processing of the application submitted for obtaining certificate of registration under these regulations;
- (j) “Subscriber” means any individual who is above the age of 18 years, and has voluntarily joined the Scheme and holds a Pension Account;
- (k) “subsidiary instruction” shall have the same meaning as assigned to it under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Procedure for making regulations and subsidiary instructions) Regulations, 2025.
- (l) “Systematic Withdrawal Plan” means a facility that allows a Subscriber to withdraw a predetermined amount at regular intervals from his accumulated corpus managed by a Pension Fund;

- (m) “Trustee” means a person appointed by the Pension Fund to hold the assets of the Scheme for the benefit of the Subscribers;
- (n) “Unit” means a unit of the Scheme representing the fractional interest proportionate to Subscriber’s share in the corpus of the Scheme.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION AND ELIGIBILITY OF PENSION FUND

4. Registration

- (1) No person shall act as a Pension Fund under these regulations unless it has obtained a certificate of registration from the Authority as a Pension Fund.
- (2) An entity desirous of obtaining a certificate of registration from the Authority as a Pension Fund shall submit an application form through SWIT, accompanied by such fees and documents and in such manner as may be specified by the Authority.
- (3) The applicant, while making application, shall provide comprehensive details regarding its corporate structure, financial standing (audited financial statement of the past 3 years), proposed business plan, organizational setup, key personnels, risk management framework, and such other information as may be sought by the Authority.
- (4) An application which is incomplete shall not be processed.

5. Eligibility for Registration

- (1) The applicant shall be an entity incorporated as a company in the International Financial Services Centre, or a branch of a company incorporated outside the International Financial Services Centre:

Provided that the branch structure is permitted only for a Pension Fund which is already registered or regulated by a financial sector regulator in India or a foreign jurisdiction for undertaking similar activities.

- (2) The Board of the applicant shall consist of at least four directors, of whom at least one-half shall be independent directors.
- (3) The applicant and its promoters shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “*High-Risk Jurisdictions subject to call for action*”.
- (4) The applicant or its parent or associate shall have experience in managing a pension fund, retail fund, insurance business, or commercial bank for a minimum period of ten (10) years.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, “associate” shall, in relation to a person, means another person who exercises control over at least fifty per cent of the total voting power of the first person.

(5) The applicant shall maintain a minimum net worth of USD 1 million at all times:

Provided that where the applicant is a parent entity, the minimum net worth shall be maintained at the parent level.

6. Appointment of Key Managerial Personnel(s)

(1) The applicant shall appoint a minimum of two Key Managerial Personnels who shall be responsible for the activities of the Pension Fund, including but not limited to, fund management, risk management, etc.

(2) The Pension Fund shall additionally appoint a Compliance Officer who shall be a Key Managerial Personnel for overall compliance of these regulations and other applicable laws and he shall report directly to the Board.

(3) The employees appointed in accordance with sub-regulation (1) and (2) shall have:

(a) a post-graduate degree or post graduate diploma (minimum one year in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or professional qualification such as Chartered Financial Analyst or a Financial Risk Manager from Global Association of Risk Professionals, or equivalent; and

(b) minimum three (3) years of work experience in pension sector, fund management, fund operations, investment banking, or asset management, involving direct responsibility for managing financial assets or overseeing critical fund operations.

Provided that a bachelor's degree in finance, law, accountancy, business management, commerce, or economics shall also suffice for a person with more than ten (10) years of work experience in pension sector, fund management, fund operations, investment banking or asset management.

7. Fit and proper requirements

(1) A Pension Fund shall ensure that all its director(s), Key Managerial Personnel(s) and controlling shareholders are 'fit and proper' persons at all times, as per the criteria specified in the *First Schedule*.

(2) Any person who has been declared not to be a 'fit and proper' person by an order of a regulatory authority shall not be eligible to seek registration, or be a director, Key Managerial Personnel, or controlling shareholder, as the case may be, until such person satisfies the 'fit and proper' criteria of the said regulatory authority.

8. Furnishing of information

(1) The Authority may require the applicant to furnish any additional information or clarification for considering the application.

(2) While considering an application, the Authority may also require the applicant to appear before it for personal representation or clarification.

(3) The Authority may also undertake inspection of the applicant's office prior to the grant of certificate of registration.

9. Grant of registration

(1) The Authority, upon being satisfied that the applicant fulfils the eligibility criteria and requirements specified in these regulations, may grant a certificate of registration as a Pension Fund, subject to the payment of the applicable fee.

(2) The grant of registration may be subject to such terms and conditions as the Authority deems fit, including, but not limited to, compliance with specific operational or financial requirements.

(3) If the Authority, upon the examination of the application, is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the applicant, giving it thirty (30) days' time to rectify them.

(4) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may dispose of the application and shall communicate the same to the Applicant, with reasons thereof.

(5) The certificate of registration granted to a Pension Fund shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Authority or voluntarily surrendered by the Pension Fund:

Provided that the voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

10. Ongoing compliance

A Pension Fund shall, at all times:

- (a) maintain a fully functional office within the International Financial Service Centre, which is adequate for its current and projected operations, including investment management, risk management, compliance, and administrative functions, and such office shall be equipped with necessary infrastructure, including but not limited to, a secure information technology system, communication facilities and data storage capabilities;

Explanation - the information technology system deployed by a Pension Fund covering all aspects of its operations, including investment analysis, trading, risk monitoring, valuation, record-keeping, and cyber security;

- (b) develop and implement comprehensive internal policies and procedures covering all aspects of its operations, including investment decision-making, risk management, compliance, grievance redressal, which policies and procedures shall be regularly reviewed and updated;
- (c) comply with the International Financial Services Centre Authority (AML/CFT/KYC) Guidelines, 2022, as amended from time to time;
- (d) establish a clear organizational structure with well-defined roles, responsibilities, and reporting lines for ensuring adequate segregation of duties; and
- (e) ensure continual compliance with all provisions of the Act, these regulations, and relevant subsidiary instruction as issued by the Authority from time to time, as well as other applicable laws.

CHAPTER III SCHEME FEATURES

11. Contribution structure

- (1) A Pension Fund shall provide Subscribers with the flexibility to determine the frequency and amount of their contributions.
- (2) A Pension Fund may fix a minimum contribution amount, with the prior approval of the Authority.

12 Investment options and Scheme types

- (1) Pension Fund may offer a range of investment options, including:
 - (a) **Active choice:** Subscribers may actively choose their asset allocation across various asset classes within the specified limit; and
 - (b) **Auto choice (life cycle fund):** A default option where asset allocation changes automatically based on the Subscriber's age, gradually shifting from aggressive to conservative, as they approach retirement.
- (2) Each Scheme shall have a clearly defined investment objective, strategy and risk profile, which shall be detailed in its Scheme Information Document.

13. Scheme filing and approval process

- (1) Each Scheme offered by a Pension Fund shall be constituted as a trust.
- (2) A Pension Fund shall seek prior approval of the Authority for each new Scheme, or any material modification proposed to be made to an existing Scheme, as the case may be, by filing requisite details with the Authority.
- (3) The filing referred to in sub-regulation (2) shall, *inter alia*, include the Scheme Information Document and such other information as may be required by the Authority.
- (4) A Pension Fund shall appoint a Trustee prior to filing the Scheme Information Document with the Authority and shall ensure that the Trustee meets with the 'fit and proper' requirements as specified in the **First Schedule**.
- (5) The scheme, as approved by the Authority, shall be launched within a period of twelve (12) months from the date of communication of such approval.

14. Withdrawal and exit options

- (1) The withdrawal and exit options available to a Subscriber under a Scheme shall be as under:
 - (a) **Provision for partial withdrawal (Pre-retirement):** Limited partial withdrawals may be permitted for higher education, marriage, critical illness, housing, or any other purposes as maybe specified by the Authority, after completion of a minimum lock-in period of five years:

Provided that the amount of partial withdrawal shall not exceed seventy-five percent of Subscriber's contribution, or such lower limit as may be disclosed in the Scheme Information Document:

Provided further that in case of withdrawal on account of critical illness, such partial withdrawal may be permitted without any minimum lock-in period.

(b) **At retirement/superannuation/vesting period:** Upon contributing for a minimum of ten years or upon attaining the age of superannuation, that is sixty years, whichever is earlier, a Subscriber intending to exit the scheme shall opt for a Systematic Withdrawal Plan:

Provided that in case of attainment of age of superannuation, the Subscriber may defer the withdrawal of the accumulated corpus, with or without further contributions, till he attains the age of seventy-five years.

(2) The withdrawal of corpus under clause (b) of sub-regulation (1) shall be subject to a minimum of twenty per cent. of the total accumulated corpus through a Systematic Withdrawal Plan and balance be payable lump sum to the Subscriber:

Provided that where a total accumulated corpus of a Subscriber is below a threshold specified by the Authority, the entire amount may be withdrawn as a lump sum upon retirement/superannuation.

(3) If a Subscriber exits from the Scheme before superannuation or vesting period, a minimum of twenty-five per cent. of the total corpus shall be utilised by the Subscriber for the Systematic Withdrawal Plan and the remaining of the corpus may be withdrawn as lumpsum, subject to the threshold referred to in sub-regulation (2).

(4) In the event of the Subscriber's death, the entire accumulated corpus shall be paid as a lump sum to the nominee(s), or, in his absence, to the legal heir(s).

15. Portability

(1) A Subscriber shall have the right to change the Pension Fund up to a maximum of two (2) times per Financial Year.

(2) The Authority may specify the mechanism for interoperability with other pension systems, subject to bilateral agreements and applicable regulatory approvals.

16. Nomination

A Subscriber shall have the right to nominate one or more persons, or change such nomination(s), who shall receive the accumulated corpus in the event of his death.

17. Healthcare benefit option

(1) A Pension Fund may also offer a healthcare benefit option that allows Subscriber to allocate a portion of his pension contribution towards a dedicated healthcare savings account, information about which shall be included in Scheme Information Document.

(2) The healthcare benefit option offered in a Scheme by the Pension Fund shall comply with the requirements specified in the *Second Schedule*.

CHAPTER IV INVESTMENT MANAGEMENT AND ASSET ALLOCATION

18. General principles of investment

The general principles of investment to be adhered to by a Pension Fund shall, *inter-alia*, include the following:

- (a) **Long-term investment horizon:** The investment strategy shall be aligned with the long-term nature of pension liabilities.
- (b) **Diversification:** Investments shall be diversified across asset classes, sectors, and geographies, so as to reduce risk.
- (c) **Liquidity:** Sufficient liquidity shall be maintained to meet regular withdrawals and payments.
- (d) **Risk management:** A robust risk management framework shall be established to underpin all investment decisions.
- (e) **Safety and prudence:** The primary goal of investment shall be the long-term safety of the Scheme .
- (f) **Stewardship:** A Pension Fund shall act as a responsible steward of the assets of the Subscriber.

19. Permissible investments and limits

(1) A Pension Fund shall invest in any of the following asset classes:

- (a) listed public and private equities;
- (b) Fixed income instruments, such as government bonds, corporate bonds, private debt;
- (c) Alternative Investment Funds;
- (d) Frequently traded commodities;
- (e) Cash and short-term instruments for liquidity management; or
- (f) Such other financial products or instruments, as may be specified by the Authority.

(2) The specific investment limits for each class and sub-class of assets shall be in accordance with the **Part-A of Third Schedule** titled “Permissible investments and limits”.

(3) The specific investment limits for each class and sub-class of assets for a Scheme shall be determined by the Pension Fund in accordance with sub-regulation (2) and the same shall also be detailed in the respective Scheme Information Document.

20. Geographic diversification

A Pension Fund shall adhere to the following exposure limits for investments in India and global markets:

- (a) **Exposure in India:** Investment in assets, across all permissible asset classes, in India may be up to hundred per cent. (100%) of the Scheme's Assets under Management (AUM).

- (b) **Global market exposure (outside India):** Investment in assets, across all permissible asset classes, in any one country shall not exceed twenty per cent. (20%) of the Scheme's Assets under Management (AUM), except in case of United States of America where the maximum limit shall be fifty per cent. (50%):

Explanation.- For the purpose of this regulation, the exposure limit shall include both direct and indirect investments.

21. Concentration limits

Pension Fund shall adhere to concentration limits pertaining to single issuer and counterparty, as specified in the **Part-B of the Third Schedule**.

CHAPTER V RISK MANAGEMENT

22. Enterprise-wide risk management

(1) Every Pension Fund shall establish and maintain a comprehensive enterprise-wide risk management framework, approved by its Board, to identify, measure, monitor, and mitigate all material risks arising from and associated with the management of the Scheme.

(2) The framework referred to in sub-regulation (1) shall be integrated into all aspects of the Pension Fund's operations.

23. Key risk categories

(1) The risk management framework established by a Pension Fund shall, *inter alia*, cover key risk categories as specified in the **Fourth Schedule**, and the detailed methodologies for managing such risks shall be outlined in the Pension Fund's internal risk management policies in accordance with the requirements stipulated therein.

(2) A Pension Fund shall implement a currency risk management policy, which shall, where appropriate, include hedging strategies.

24. Risk appetite and limits

(1) The Board shall formulate and periodically review a comprehensive well-documented risk appetite statement specifying the overall level of risk a Pension Fund is willing to assume in the management of Scheme.

(2) The risk appetite statement shall be appropriately translated and operationalised into specific, measurable and actionable quantitative and qualitative risk limits for the whole portfolio as well as its individual components.

25. Risk governance and oversight

(1) A Pension Fund shall implement a robust risk governance structure including a dedicated Risk Committee at the Board level, with clearly defined roles and clear lines of accountability.

(2) For the purpose of effective risk management, a Pension Fund shall adopt and implement the three lines of defence model.

Explanation. - For the purpose of this regulation, the ‘three lines of defence’ shall comprise of the following:

- (a) **First line of defense (risk ownership):** The investment management and the operations functions shall constitute the first line of defense which shall be primarily responsible for the day-to-day identification, assessment, ownership and control of all risks inherent in their activities, ensuring strict adherence to the Scheme's investment mandates and prudential norms.
- (b) **Second line of defense (risk control):** The compliance, legal and risk management functions shall constitute the second line of defense which shall be responsible for defining the overall risk appetite, establishing internal control policies, independently monitoring adherence to regulatory requirements and risk limits, and reporting any deficiencies to Board and the Trustee.
- (c) **Third line of defense (independent assurance):** The internal audit function, which must directly report to the Board, shall constitute the third line of defense providing objective and independent assurance to the Trustee and the Authority on the effectiveness of the governance, risk management processes and internal controls implemented by the first and second lines of defense.

26. Stress testing and contingency planning

(1) A Pension Fund shall conduct comprehensive stress tests and scenario analyses at regular intervals, to evaluate the resilience of the portfolio under extreme conditions.

(2) A Pension Fund shall formulate, implement and maintain robust business continuity plans (BCP) and disaster recovery plans (DRP), which shall be regularly tested to ensure uninterrupted operations.

CHAPTER VI GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

27. Record-keeping and administration

(1) A Pension Fund shall maintain a comprehensive, secure and electronic record-keeping system for all Subscriber's data and transactions, and ensure the integrity, confidentiality and availability of such data at all times, is in accordance with the applicable laws.

(2) Each Subscriber shall be assigned a unique Pension Account number by the Pension Fund.

(3) A Pension Fund shall provide Subscriber with online access to his Pension Account details including transaction history, current valuation and investment allocation.

28. Reporting and disclosures

(1) A Pension Fund shall submit report about its operations, financial performance, investment portfolios, compliance status, and any other information, in such form and manner and within such timelines (including monthly, quarterly, and annually) as may be specified by the Authority.

(2) A Pension Fund shall, while onboarding a Subscriber, disclose the following :

- (a) Scheme Information Document;
- (b) Fees and charges;
- (c) Grievance redressal procedures;
- (d) Terms and conditions for contributions, withdrawals, and exit;
- (e) Performance reports, on a yearly basis; and
- (f) Annual consolidated statements detailing all transactions, investment performance, and fees charged.

(3) Any subsequent changes in the details furnished under clauses (a) to (d) of sub-regulation (2) shall be immediately disclosed to the Subscribers.

29. Grievance redressal mechanism

A Pension Fund shall take adequate steps for redressal of grievances of the Subscriber in accordance with the circular titled “*Complaint Handling and Grievance Redressal by Regulated Entities in the IFSC*” dated December 02, 2024, issued by the Authority.

30. Auditing requirements

(1) A Pension Fund shall undergo an annual financial audit conducted by an independent auditor in accordance with the applicable laws, and the report of such audit shall be submitted to the Authority within thirty (30) days from its receipt.

(2) The Authority may also conduct special audits or appoint auditors to undertake concurrent audits, as deemed necessary.

31. Custody of assets

(1) A Pension Fund shall ensure that all assets of the Scheme are held in the safe custody of a Custodian.

(2) The Custodian shall be independent of the Pension Fund and shall be responsible for the safekeeping and settlement of Scheme assets, and reporting of holdings, in accordance with applicable law and regulatory requirements.

32. Creation of the trust

(1) The trust under sub-regulation (1) of regulation 13 shall be settled under the applicable laws in force in India.

(2) The trust deed shall also include roles and responsibilities of the Trustee in accordance with the requirements specified under these regulations.

33. Eligibility for the appointment of Trustee

The entity proposed to be appointed as Trustee shall meet the eligibility conditions as follows:

- (a) it shall be independent of the Pension Fund ;
- (b) it shall be authorised/registered with the Authority or with any other financial sector regulator to act as a trustee; and
- (c) it shall have adequate infrastructure, manpower and other related wherewithal to the satisfaction of the Authority, to carry out its functions and obligations.

34. Roles and responsibilities of the Trustee

(1) A Trustee, all its directors, officers and members of its governing body shall, at all times, act in a fiduciary capacity for the benefit of the Subscribers, and shall manage and administer the affairs of the Scheme solely in the interest of the Subscribers with the objective of protecting and enhancing their superannuation benefits.

(2) A Trustee shall exercise its powers and carry out its duties with care, diligence, skill, and prudence that a reasonable and prudent person would exercise in the conduct of a similar enterprise, and shall comply with all provisions of these regulations, the trust deed and other applicable laws.

(3) A Trustee shall ensure that in the event of a potential or actual conflict of interest, the interests of the Subscribers shall take precedence over all other interests, including those of the Trustee, Pension Fund or any related party.

(4) A Trustee shall be responsible for ensuring that the Scheme is administered in strict compliance with the Scheme Information Document, these regulations, subsidiary instruction issued by the Authority from time to time, and other applicable laws.

35. Engagement of Distributor

(1) A Pension Fund may engage one or more distributors for the purpose of marketing, soliciting or servicing Subscribers.

(2) Notwithstanding the engagement referred to in sub-regulation (1), a Pension Fund shall remain fully and solely responsible for the conduct, compliance and activities of any distributor engaged, and shall ensure that such distributor adheres to these regulations and any other directions issued by the Authority.

36. Subscriber education and awareness

(1) A Pension Fund shall be responsible for promoting financial literacy among potential Subscribers and providing timely, accurate and comprehensive information regarding the operation of the scheme, the risks associated with various investment options, fee structures and the subscriber's rights and responsibilities.

(2) A Pension Fund shall ensure that all key educational materials, performance disclosures and details pertaining to the Scheme are made available to every Subscriber in a readily accessible, clear and easy-to-understand format.

37. Change in control

A Pension Fund shall seek prior approval of the Authority in case of any direct or indirect change in its control:

Provided that where a Pension Fund operating in the form of a branch is required to take prior approval from its sectoral regulator in its principal place of operation, it shall only inform such change to the Authority, within fifteen (15) days thereof.

38. Payment of fees

A Pension Fund shall pay annual fees, Scheme Information Document filing fee, and any other fees as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER VII FINANCIAL ASPECTS

39. Fees and charges levied by a Pension Fund

(1) A Pension Fund shall take prior approval of the Authority to levy fees and charges on the Subscribers.

(2) The charges mentioned under sub-regulation (1) may include account opening charges, annual maintenance charges, investment management fees (as a percentage of Assets under Management), and transaction charges.

(3) A Pension Fund shall disclose complete details of all fees and charges proposed to be levied on the Subscribers, in the Scheme Information Document and other relevant documents.

40. Valuation and Net Asset Value calculation

(1) Assets and liabilities of the Scheme shall be valued on daily basis, at market prices, as per the methodologies fully disclosed and documented by the Pension Fund.

(2) The Net Asset Value (NAV) per unit for each Scheme shall be calculated and declared daily, based on the total value of assets less liabilities, divided by the number of outstanding units.

(3) For the purpose of carrying out valuation functions, a Pension Fund may appoint a valuer registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India or the Authority, or such other person as may be specified by the Authority.

CHAPTER VIII COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

41. Inspection and investigation

(1) The Authority may, *suo motu* or upon receipt of information or complaint, undertake the inspection of the books, accounts, records, documents, infrastructure, procedures and systems of a Pension Fund, Custodian, Trustee or any other person associated with the

pension ecosystem in the International Financial Services Centres, for any of the following purpose:

- i) ensuring compliance with these regulations;
- ii) protecting the interests of the Subscribers; or
- iii) any other purpose as deemed fit by the Authority.

(2) The Authority shall also have the power to conduct investigation.

42. Action in case of default

(1) The Authority may initiate such action as it deems fit, in case a Pension Fund, Custodian or any other person associated with the pension related activities in International Financial Services Centre contravenes any of the provisions of these regulations, subsidiary instruction issued thereunder.

(2) No action referred to under sub-regulation (1) shall be taken without giving a Pension Fund, Custodian, or any other person associated with the pension related activities in International Financial Services Centre, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS PROVISIONS

43. Power to relax strict enforcement of the regulations

(1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of pension ecosystem in International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any provision of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation is being sought, shall be filed with the Authority along with such non-refundable fee as may be specified by the Authority.

(3) The application made under sub-regulation (2), complete in all respects, shall be processed within sixty (60) days from the date of its receipt, or receipt of the responses to the clarifications sought by the Authority, if any.

(4) The Authority shall dispose of the application received under sub-regulation (2), by recording the reasons in writing for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant.

44. Power to call for information

The Authority may call for any information, document or record from a Pension Fund, Trustee, Custodian or any other person associated with the pension ecosystem in the International Financial Services Centre.

45. Power to specify procedures

The Authority may, from time to time, specify norms, procedures, processes or additional requirements, by way of subsidiary instruction, for the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto.

46. Power to remove difficulties and issue clarification

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions, clarifications, guidance notes or subsidiary instructions.

47. Cyber security and cyber resilience

A Pension Fund shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

48. Delegation of powers

The powers exercisable by the Authority under these regulations shall also be exercisable by any officer of the Authority to whom such powers are delegated by the Authority.

49. Overriding effect

On and from the commencement of these regulations, any regulations notified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority shall not apply to a pension scheme approved by the Authority to the extent they are inconsistent with these regulations.

FIRST SCHEDULE
FIT AND PROPER REQUIREMENTS

[see regulations 7(1) and 13(4)]

A person shall be deemed to be a fit and proper person if:-

- (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
- (b) such person has not incurred any of the following disqualifications –
 - (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
 - (ii) charge sheet has been filed against such person by any Indian enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
 - (iii) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;

- (iv) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
- (v) an order for has been passed against the person for malfeasance;
- (vi) the person has been declared insolvent and not discharged;
- (vii) an order restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial product(s) or financial service(s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning securities laws or financial services market and such order is in force;
- (viii) any other order against the person, which has a material bearing on the financial services market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed:

Explanation. – For the above provision, the decision to determine materiality shall be that of the Authority;

- (ix) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (x) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (xi) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (xii) any other disqualification as may be specified by the Authority.

SECOND SCHEDULE HEALTHCARE BENEFIT OPTION

[see regulation 17(2)]

Compliance requirements for offering healthcare benefit option –

- 1) **Sub-account:** The Pension Fund must maintain a separate “Healthcare Sub-Account” for the Subscribers who opt for this benefit, and contributions to this sub-account shall be kept distinct from the main pension contributions.
- 2) **Regulatory Approval:** A Pension Fund intending to offer this option shall obtain prior approval from the International Financial Services Centre Authority and may demonstrate a tie-up with a licensed health insurance provider or a healthcare benefit administrator.
- 3) **Voluntary Contribution:** The healthcare benefit option shall be offered on a voluntary basis, and Subscribers may allocate a portion of their regular contributions, or make additional contributions, to this sub-account.
- 4) **Contribution Limits:** A maximum of ten percent of the Subscriber’s total contributions may be contributed by the Subscriber to his/her healthcare sub-account.

- 5) **Investment Mandate:** Funds in the sub-account may be invested in a low-risk, highly liquid portfolio, including government bonds and money market instruments, to ensure that they are readily available for healthcare needs.
- 6) **Authorized Use:** Funds from the sub-account shall only be used for hospital expenses as provided in the Scheme Information Document issued by the Pension Fund.
- 7) **Pre-Retirement Access:** Funds from the sub-account can be accessed at any time for medical emergencies or planned healthcare expenses.
- 8) **Retirement and Rollover:** Upon retirement, any unused balance may be used to purchase health insurance or be rolled over into the main pension corpus.

THIRD SCHEDULE
PART – A
PERMISSIBLE INVESTMENTS AND LIMITS

[see regulation 19(2)]

All exposures shall be calculated based on the total value of the portfolio.

I. Fixed income instruments

1. **Government bonds:** 100% of the portfolio may be allocated in sovereign debt, such as Government of India bonds, and highly rated public sector bonds.
2. **Corporate bonds:** A maximum of 40% may be allocated to corporate bonds, of which at least 70% shall be invested in securities that are rated BBB and above, and in case any such security is downgraded below the permissible rating, the investment shall be restored to investment grade within a period of 12 months to comply with the investment limits.
3. **High-yield/Non-investment grade:** A maximum of 5% of the portfolio may be invested in high-yield bonds, after conducting a thorough credit analysis is conducted on the same.

A rating from only one credit rating agency, either domestic or international, shall be sufficient for investment purposes of the Scheme.

II. Equities

1. **Total equity exposure:** The total allocation to equities may be 100% of the portfolio, depending on the nature of the Scheme floated by the Pension Fund.
2. **Domestic equities:** A maximum of 100% may be invested in Indian equities.
3. **Large-cap:** A minimum of 50% of the domestic equity allocation shall be in large-cap stocks.
4. **Mid- and small-Cap:** A maximum of 40% of the domestic equity allocation may be in mid- and small-cap stocks, and in the event of any breach arising from reclassification or change in market capitalization, a curing period of twelve months shall be permitted to restore compliance with the specified investment limits.
5. **Foreign equities:** A maximum of 100% may be allocated to foreign equities, subject to appropriate diversification across different developed and emerging markets.

III. Alternative investments

The overall maximum permissible allocation of the corpus to Alternative Investments shall not exceed fifteen percent (15%) of the total portfolio value, and the investment limits for individual sub-categories within alternative investments shall be as follows:

1. **Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs):** A maximum of 10% may be allocated to these instruments, which offer exposure to real assets with a degree of liquidity.
2. **Private Equity and Venture Capital:** A maximum of 5% may be invested in these illiquid assets, and such investments shall be carefully selected and must align with the Scheme's long-term horizon.
3. **Commodities:** A maximum of 5% may be allocated to frequently traded commodities, primarily through exchange-traded funds (ETFs).

PART – B CONCENTRATION LIMITS (see regulation 21)

I. Single issuer limit

The total exposure to the securities, including both debt and equity, issued by a single corporate entity or its related parties shall not exceed 10% of the Scheme:

Provided that this limit shall not apply to government securities.

II. Counterparty limit:

1. **Sponsor Group Companies (Debt):** Investment in debt securities of a sponsor group company shall be restricted to five percent (5%) of the net worth of all sponsor group companies, or five percent (5%) of the Assets under Management (AUM) of the concerned Scheme, whichever is lower.
2. **Non-sponsor Group Companies (Debt):** Investment in debt securities of a single non-sponsor group company shall be restricted to ten percent (10%) of the net worth of all non-sponsor group companies, or ten percent (10%) of the Assets under Management (AUM) of the concerned Scheme, whichever is lower.
3. **Industry concentration:** Exposure to a single industry sector shall not exceed fifteen (15%) of the total Assets under Management (AUM) across all Schemes managed by a single Pension Fund.
4. **Equity exposure in a single company:**
 - a) Maximum of five percent (5%) of the paid-up capital for sponsor group companies; and
 - b) Maximum of ten percent (10%) for non-sponsor group companies.
5. **Term deposits:** A maximum of ten percent (10%) exposure per eligible bank is permitted for term deposits.

FOURTH SCHEDULE RISK MANAGEMENT

[see regulation 23(1)]

Effective risk management is crucial for the long-term stability and success of any Scheme, as, given the complexity and scale of its operations, it requires the identification, assessment, and mitigation of risks across various categories – from financial market risks to operational and regulatory risks – within a robust framework that enables the Pension Fund to manage these risks effectively, safeguard investor interests, and comply with regulatory standards.

1. Risk management framework

The Pension Fund must establish processes and procedures that ensure that risks are proactively identified and mitigated throughout the investment lifecycle.

1.1 Establishing a robust risk management framework

The Pension Fund shall create a formal risk management framework that is integrated into the overall governance structure of the Scheme and includes the following:

- a) **Risk identification:** The Pension Fund must establish procedures to identify all potential risks across the Scheme's operations, including financial risks (market, credit, liquidity), operational risks (process breakdowns, systems failures), and regulatory risks (compliance with laws and regulations).
- b) **Risk assessment:** Once identified, each risk must be assessed in terms of its potential impact on the Scheme's performance and operations, with the Pension Fund using both quantitative and qualitative risk assessment methods to evaluate the severity and likelihood of each risk.
- c) **Risk mitigation:** The Pension Fund must develop strategies to mitigate or manage identified risks, including setting risk limits, diversifying the portfolio, using financial instruments like derivatives for hedging, and implementing robust internal controls to minimize operational risk.
- d) **Risk monitoring and reporting:** Continuous monitoring of risk exposure is essential to ensure that any changes in market conditions or internal operations are promptly addressed, and in this regard, the Pension Fund must have systems in place to report risks to the senior management and the Board, which shall include periodic risk reports that provide an overview of the Scheme's risk profile.
- e) **Risk governance:** The risk management framework must be overseen by the Compliance Officer who shall have the responsibility for ensuring the effective implementation of risk management practices and policies, and shall report directly to senior management or the Board, to ensure that risk is integrated into the Scheme's decision-making processes.

2. Types of risks

A well-rounded risk management framework must address a wide range of potential risks that could affect the Scheme, and below are the key types of risks that the Pension Fund must consider and mitigate:

2.1 Market risk

- a) **Definition:** Market risk refers to the potential for losses due to fluctuations in the market value of assets, such as stocks, bonds, commodities, or currencies, and includes the following:
 - i. **Price risk:** The risk that the price of a security or asset may change in an unfavorable direction, such as the stock prices falling, or the bond prices rising;
 - ii. **Volatility risk:** The risk that market volatility may increase, causing larger-than-expected price swings;
 - iii. **Interest rate risk:** The risk that changes in interest rates may affect the value of fixed-income securities, such as bonds, in the portfolio; and
 - iv. **Currency risk:** The risk that the value of assets, liabilities, income, or returns denominated in a foreign currency may be adversely impacted from fluctuations in foreign exchange rates.
- b) **Mitigation:** To manage market risk, the Pension Fund must employ strategies such as diversification, hedging with derivatives, and asset allocation that balances the Scheme's exposure to different types of market risks, and may also use stop-loss orders and dynamic asset rebalancing to reduce exposure to volatile assets.

2.2 Credit risk

- a) **Definition:** Credit risk refers to the potential for losses in case an issuer of a security, such as a corporate bond or government bond, or a counterparty to a transaction fails to meet its financial obligations, and includes the following:
 - i. **Default risk:** The risk that the issuer of a bond or debt instrument may not be able to repay the principal or interest on the debt; and
 - ii. **Counterparty risk:** The risk that a counterparty in a financial transaction, such as in derivative contracts or repurchase agreements, may default on its obligations.
- b) **Mitigation:** The Pension Fund must mitigate credit risk by investing in high-quality, investment-grade securities, performing thorough credit assessments of issuers, and employing credit diversification across sectors and geographies, and may also consider the use of credit default swaps (CDS) or other credit-linked instruments to hedge against credit risk.

2.3 Liquidity risk

- a) **Definition:** Liquidity risk arises when the Pension Fund is unable to buy or sell an asset in the market without significantly affecting its price, or when the Scheme cannot meet its short-term financial obligations, such as withdrawals from pension accounts, and includes the following:
- i. **Asset liquidity risk:** The risk that assets cannot be quickly converted to cash without incurring a loss;
 - ii. **Funding liquidity risk:** The risk that the Scheme does not have sufficient cash or liquid assets to meet its obligations, such as investor redemptions or operational costs.
- b) **Mitigation:** To mitigate liquidity risk, the Pension Fund must maintain a liquid buffer of cash or highly liquid assets that can be accessed easily to meet short-term obligations, assess the liquidity profile of assets in the portfolio and limit exposure to illiquid assets, and conduct stress tests to anticipate potential liquidity shortfalls in extreme market conditions.

2.4 Operational risk

- a) **Definition:** Operational risk arises due to failures in internal processes, people, systems, or external events, and includes the following:
- i. **Human error:** Mistakes made by employees or managers, such as incorrect transaction execution or data entry errors;
 - ii. **System failure:** Breakdowns in technology, such as software glitches or cybersecurity breaches; and
 - iii. **Process failure:** Flaws in internal procedures or controls, such as failure to reconcile accounts correctly or process the transactions in a timely manner.
- b) **Mitigation:** To manage operational risk, the Pension Fund must implement strong internal controls, comprehensive training programs for employees and backup systems to minimize the impact of system failures, and conduct regular audits, implement process automation and pursue continuous improvement initiatives to help reduce the likelihood of operational failures.

2.5 Compliance risk

- a) **Definition:** Compliance risk refers to the risk that the Pension Fund may fail to comply with laws, regulations, or contractual obligations, and includes the risks associated with the following:
- i. **Regulatory non-compliance:** Failure to comply with regulatory requirements set by the International Financial Services Centre Authority, or any other relevant regulatory authority;
 - ii. **Legal disputes:** Potential litigation or legal action involving the Pension Fund or the Scheme; and

- iii. **Contractual risk:** Risk of failing to fulfil contractual obligations relating to investors, custodians, or service providers.
- b) **Mitigation:** Compliance risks must be mitigated by ensuring strict adherence to all relevant regulations, including periodic reviews of legal obligations, and the Compliance Officer shall monitor regulatory changes and ensure that the both Pension Fund and Scheme are compliant with the applicable rules and regulations.

3. Stress testing and scenario analysis

Given the unpredictability of market and economic conditions, the Pension Fund must regularly assess how the Scheme would perform under different stress scenarios, using stress testing and scenario analysis to identify vulnerabilities in the Scheme's portfolio and operations to prepare for adverse outcomes.

3.1 Conducting Stress Testing and Scenario Analysis

a) Definitions

- i. **Stress testing:** Stress testing involves simulating extreme market conditions, such as a market crash, sudden interest rate hikes, or adverse geopolitical events, to evaluate the impact on the Schemes portfolio, and assess whether the Scheme's risk management framework is robust enough to withstand market shocks.
- ii. **Scenario analysis:** Scenario analysis examines various "what-if" scenarios, such as changes in inflation rates, interest rates, or economic growth, to understand the potential impact on the Scheme's returns and risk profile, and helps the Pension Fund understand the potential risks under different macroeconomic conditions.

b) Corrective actions based on findings

The findings of stress tests and scenario analyses must result in corrective actions, which may include the following:

- a) **Adjusting asset allocation:** Based on the outcomes of stress tests, the Pension Fund may decide to rebalance the Scheme's portfolio to reduce exposure to high-risk or illiquid assets;
- b) **Risk reduction strategies:** The Pension Fund may choose to implement additional hedging strategies, adjust derivative positions, or increase the liquid cash buffer to safeguard against potential liquidity risks; and
- c) **Contingency plans:** Stress testing may reveal the need for updating contingency plans or setting up emergency liquidity lines to ensure that the Scheme can meet investor redemption requests in times of crisis.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./05/2026-27]